तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/4/26	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 10/4/26 को पेश हो।	
10/4/26	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उपस्थित अभि० प्रार्थी पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 15/4/26 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	
15/4/26	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उपस्थित समयाभाव के कारण आदेश नहीं सुनाया जा सका। अभि० प्रार्थी की पुनः बहस सुनी गयी पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 29/4/26 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	
29/4/26	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उपस्थित प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

RPU

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 08/2025

1. श्रीभान
2. हिम्मत पुत्रान भरतू उर्फ भरत सिंह जाति गुर्जर निवासी चुरारी गुजर तहसील उच्चैन।
3. प्रेम सिंह
4. रामदेव
5. लोकेन्द्र पुत्रान श्रीराम जाति गुर्जर निवासी चुरारी गुजर तहसील उच्चैन
6. सुनीता पुत्री श्रीराम पत्नी अरवो जाति गुर्जर निवासी चुरारी गुजर हाल निवासी बगई तहसील व जिला भरतपुर।
7. सीमा पुत्री श्रीराम पत्नी अजब सिंह जाति गुर्जर हाल निवासी बगई तहसील व जिला भरतपुर राज0।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0।
2. श्रीमान भू—प्रबन्ध अधिकारी (सैटलमैन्ट अधिकारी) भरतपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136,128 एल.आर.ए

उपस्थिति

1. श्री घनश्याम धनकर एडवोकेट प्रार्थी

निर्णय **दिनांकः—29.04.2026**

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136,131,128 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 532/0.13, 533/0.24, 534/0.31, 535/0.40, 536/0.14, 641/0.17, 642/0.03, 725/0.03, 644/0.11, 643/0.43 बाके ग्राम चुरारी गूजर में स्थित है जिनके पुराने खसरा नम्बर 453/0.16, 454/1.10, 455/1.18, 456/2.09, 457/0.17, 554/1.05, 624/0.4, 625/765/0.14, 764/2.13 जमाबंदी संम्बत् 2071—2074 के मुताबिक है। उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर नये व पुराने के हिसाब से जमाबन्दियों में रकवा पूरा कर लिया है परन्तु जब राजस्व नक्शे में रकवा के हिसाब से तरमीम नहीं की गई है।

आराजी खसरा नम्बर पुराने 453 व नये ख0नं0 532 में नये नक्शों में तरफ उत्तर में 5 गठ्ठा कट कर दिया है तथा दक्षिण में 1 गठ्ठा कम कर दिया है और पूर्व व पश्चिम की तरफ बढा दिया गया है। इसी प्रकार ख0नं0 533 पुराने 454 में नये नक्शों में 2 गठ्ठा तरफ दक्षिण में कम कर दिया है व 1 गठ्ठा उत्तर की तरफ कम कर दिया है इसमें भी तरफ पूर्व व पश्चिम में बढा दिया गया है। इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 534 पुराना 455 में 3 गठ्ठा उत्तर की तरफ कम कर दिया व 1 गठ्ठा पूर्व की तरफ कम कर दिया है इस हिसाब

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

से 1 एयर कम है। आराजी ख0नं0 535 व पुराना 456 में भी 4 गठ्ठा पूर्व की तरफ कम कर दिया है व 5 गठ्ठा दक्षिण की तरफ कम कर दिया है इसमें 7 एयर कम बैठता है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 536 व पुराना 457 में 3 गठ्ठा दक्षिण की तरफ कम 5 गठ्ठा तरफ उत्तर की बैठत है। इसी प्रकार ख0नं0 441 पुराना 554 में 1 गठ्ठा पश्चिम दिशा में कम व 6 गठ्ठा विपरीत है इसमें 3 एयर कम बैठता है इसी प्रकार आराजी खसरा 642 को सडक में दर्शित कर दिया है जबकि वह खसरा नम्बर प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है व आराजी ख0नं0 725 का पुराना 624 में तरफ पूरव की ओर 7 गठ्ठा कम कर दिया है व पश्चिम 7 गठ्ठा कम कर दिया है व तरफ उत्तर व दक्षिण में 1–1 गठ्ठा कम कर दिया है इसको कुल मिलाकर 1.5 एयर कम कर दिया है इसी प्रकार 644 पुराना 625/765 में 2 एयर कम कर दिया है। आराजी खसरा नम्बर 643 का पुराना 764 को भी कम कर दिया है इस हिसाब से दौराने सैंटलमेंट में जो राजस्व नक्शा दर्शित किया है वह मौके के विपरीत बनाया है जो खिलाफ मौका व कब्जे के हिसाब से बनाया है उसमें प्रार्थीगण दुरूस्ती करा पाने के अधिकारी है। आराजी खसरा नम्बर 643 जो सडक का नम्बर है खसरा नम्बर 644 उससे सटे हुये खसरा नम्बर 532,533 प्रार्थीगण के है चुकिं प्रतिवादीगण एक सरकारी कर्मचारी है जो दिनांक 22.04. 2025 को मौके पर आये और कहा कि आपके खसरा नम्बर बढे हुये है इनको सरकारी योजना के तहत आबंटन करना चाहते है तथा प्रार्थीगण से अपना कब्जा हटाने को कहा है नही तो पुलिस प्रशासन की मदद से प्रार्थीगण के कब्जे को हटाकर अपना कब्जा करने की धमकी दी है। जिसके कारण प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि जमाबंदी सम्बत् 2071–74 में खाता सं0 18 पर दर्ज ख0नं0 453, 454, 455, 456, 457, 554, 624(गै.मु. चाह), किस्म चाही सैराबी जो कि श्रीभान हिम्मतसिंह श्रीराम पिस. भरतू उर्फ भरतसिंह व रामश्री पत्नि स्व0 भरतू उर्फ भरतसिंह हि. 1/2 जाति गूजर सा. देह दर्ज रिकार्ड है व मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2071–74 के अनुसार आराजी ख.नं. 625/765 किस्म गै.मु.मरघट व आराजी ख.नं. 764 किस्म गै.मु.रास्ता के नाम दर्ज रिकार्ड है। एवं जमाबंदी सम्बत् 2075–78 के मुताबिक वाके ग्राम चुरारी गूजर के खाता सं0 119 पर दर्ज आराजी ख.नं. 532/0.13, 533/0.24, 534/0.31, 535/0.40, 536/0.14, 641/0.17, 642/0.03, 725/0.03(गै.मु. चाह), जो कि श्रीभान पुत्र भरतू उर्फ भरतसिंह हि. 1/3 जाति गूजर सा.देह पूर्ण राहिन सीबीआई भरतपुर वगै0 के नाम दर्ज रिकार्ड है व आराजी खसरा नम्बर 643/0.43गै.मु.रास्ता व खसरा नम्बर 644/0.11है0 गै.मु.मरघट नगरपालिका उच्चैन के नाम दर्ज रिकार्ड है।

मुताबिक नक्शा हाल (सैटलमेंन्ट) से उक्त खसरों की रकबा बराबरी की गई जो कि निम्न प्रकार से है– आराजी ख.नं. 532 का रकवा 0.15है0 बैठता है जो कि लगभग 0.02है0 ज्यादा है। आराजी ख.नं. 533 का रकवा 0.24है0 पूरा है, ख.नं. 534 का रकवा 0.31है0 पूरा है, ख.नं. 535 का रकवा लगभग 0.32है0 जो कि लगभग 0.07है0 कम है।आराजी ख.नं. 536 का रकवा लगभग 0.12है0 जो कि लगभग 0.02है0 कम है। खसरा नम्बर 641 रकवा 0.17है0 है जो कि लगभग पूरा है। आराजी ख.नं. 642 रकवा 0.03है0 जो कि लगभग 0.02है0 व आराजी ख.नं. 725 रकवा 0.03है0 जो कि लगभग 0.02है0 बैठता है। ऐसी स्थिति में मुताबिक हाल नक्शा

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

उक्त खसरों की रकवा बराबरी करने पर सम्पूर्ण नक्शा की देह हिल जायेगी। ऐसी स्थिति में उक्त खसरा नम्बर का शुद्धिकरण पटवार स्तर पर संभव नहीं है। उक्त प्रकरण का निस्तारण सैटलमेन्ट स्तर पर किया जाना उचित होगा।

अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दौराने सैटलमेंट प्रार्थीगण की आराजी का जो राजस्व नक्शा बनाया गया है वह खिलाफ मौका एवं खिलाफ कब्जा अबैध रूप से गलत बनाया गया है। प्रार्थीगण की खातेदारी के कुछ खसरा नम्बरों का रकवा दौराने सैटलमेंन्ट राजस्व नक्शे में गैर कानूनी रूप से बिना किसी आदेश के बढा दिया गया है। एवं कुछ खसरा नम्बरों का रकवा कम कर दिया गया है। उक्त बढे हुये रकवे का फायदा उठाकर अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी को किसी सरकारी योजना के लिये आबंटित करना चाहता है। जबकि प्रार्थीगण की अन्य आराजीयत का रकवा दौराने सैटलमेन्ट कम किया गया है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी राजस्व नक्शे में प्रार्थीगण की आराजी का रकवा पूर्ण किया जाबे एवं मुताबिक मौका एवं कब्जा राजस्व नक्शे में तरमीम की जाकर शुद्धि किये जाने की आज्ञा पारित करने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार उच्चैन के द्वारा प्रस्तुत जबाव का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में इस तथ्य का कही भी अंकन नहीं किया है कि प्रार्थी का बढने वाला अथवा कम होने वाला रकवा किन–किन संभाबित खसरों में निकलता है एवं प्रार्थी के द्वारा प्रभावित होने वाले खसरों के संभाबित खातेदारान को भी पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा विवादित आराजीयात के नक्शे में शुद्धि से संबंधित अभिशंषा नहीं की गई है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी तकनीकी आधार पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसोलिया(आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)